न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– ओमप्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 153/2022 **दायर दिनांकः 22/06/2022**

उनवान

1. कान्ती बाई आयु 49 वर्ष पत्नी बृजमोहन जाति सहरिया निवासी गोविन्दपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0) हाल मुकाम किशनपुरा तहसील किशनगंज, बारां
2. कालूलाल आयु 52 वर्ष पुत्र कान्हालाल जाति सहरिया निवासी किशनपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
3. चन्द्रमोहन आयु 32 वर्ष पुत्र नाथूलाल जाति सहरिया निवासी रतनपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
4. राजू उर्फ राजेन्द्र आयु 50 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति सहरिया निवासी किशनपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मो0 न0 9667627653

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' एवं 48, 49 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–

प्रार्थी :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 27/02/2025

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' एवं 48, 49 आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल गोविन्दपुरा पटवार क्षेत्र खेड़लीगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 11 का ख0न0 167 का रकबा 0.50 हेक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 168 का रकबा 0.40 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 169/469 का रकबा 0.12 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 170 का रकबा 0.77 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 171 का रकबा 0.60 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 173/471 का रकबा 0.10 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 332 का रकबा 0.08 हैक्ट0 बारानी उत्तम कुल किता 7 का कुल रकबा 2.57 हैक्ट0 आराजी प्रार्थीगण के शामलाती दर्ज खाता चली आ रही है। प्रार्थना–पत्र के साथ नकल नवीन जमाबंदी, नक्शा ट्रेस है जो काबिल गौर है। प्रार्थना–पत्र की मद न0 1 में वर्णित प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने का स्थाई रास्ता अप्रार्थी की सरकारी भूमि ख0न0 127 का रकबा 0.30 हैक्ट0 बरानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.21 12:04:23 IST
Reason: SelfAttested

2 , ख0न0 128 का रकबा 0.43 हैक्ट0 बरानी 2, ख0न0 131 का रकबा 0.60 हैक्ट0 बरानी 2, ख0न0 133 का रकबा 5.74 हैक्ट0 चारागाह, ख0न0 155 का रकबा 0.60 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 167/470 का रकबा 0.15 हैक्ट0 दीगर पीवल की मेड़ पर होकर चला आ रहा है। उक्त रास्ते से प्रार्थीगण हमेशा से अपने खेत पर आते जाते एवं कृषि यंत्र लाते ले जाते रहे हैं परन्तु अप्रार्थी ने इस वर्ष 2022 में धारा 91 एल0आर0एक्ट0 की कार्यवाही करने की धमकी दी है। जिससे प्रार्थीगण को आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने का संकट उत्पन्न हो गया है। नकल जमाबंदी अप्रार्थी खाता संख्या 129 एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थीगण अपने स्वामित्व की आराजी पर जाने के रास्ते हेतु अपने स्वामित्व की आराजी ख0न0 173/471 का रकबा 0.10 हैक्ट0 में से 0.09 हैक्ट तथा ख0न0 332 का रकबा 0.08 हैक्ट0 सम्पूर्ण कुल दोनों खसरो का कुल रकबा 0.17 हैक्ट0 यानि 1700 वर्गमीटर कृषि भूमि को अपने स्वंय के खाते से स्वंय के खेत तक जाने के आम रास्ते के लिए सरकारी भूमि ख0न0 127 में से 40X5=200 मीटर, ख0न0 128 में से 88X5=440 मीटर, ख0न0 131 में से 80X5=400 मीटर, ख0न0 133 में से 20X5=100 मीटर चारागाह, ख0न0 155 में से 40X5=200 मीटर, ख0न0 167/470 में से 80X5=400 मीटर कुल रकबा 1700 वर्गमीटर यानि 0.17 हैक्ट0 सरकारी भूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु देने के लिए तैयार है अथवा रास्ते के लिए 0.17 हैक्ट0 सरकारी भूमि की नियमानुसार राशि जमा कराने के लिए तैयार है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–9) विभाग जयपुर के शासन संयुक्त सचिव के परिपत्र क्रमांकः प 2(63)राज 9/2014 दिनांक 29.09.2014 के परिपत्र के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा जितनी भूमि चारागाह में रास्ते हेतु ली जा रही है, उतनी ही भूमि स्वंय की खातेदारी भूमि में से चारागाह में दर्ज किये जाने का आवेदन करने पर चारागाह भूमि के बदले समर्पण की जाने वाली भूमि को चारागाह रिकार्ड दर्ज किया जावे, इसकी एवज में राजकीय चारागाह भूमि जिसमें रास्ता चाहा गया है की भूमि में राजकीय रास्ता सार्वजनिक दर्ज किया जा सकता है। परिपत्र की प्रति साथ में संलग्न है। अतः माननीय न्यायालय अप्रार्थी को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोक किया जाना संभव नहीं है। अगर अप्रार्थी अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से सफल हो गया तो प्रार्थीगण अपने स्वामित्व की आराजी पर आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने से वंचित हो जावेगें। जिससे प्रार्थीगण समय पर अपने खेत को नहीं हंकवा सकेगें तथा प्रार्थीगण की आराजी पड़त रह जावेगी तथा रास्ते के अभाव में

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.21 12:04:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी तथा प्रार्थीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण को अपने स्वामित्व की आराजी पर आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी की आराजी खाता संख्या 129 के ख0न0 127,128,131,133,155,167／470 की मेड पर ए, बी, सी, अंको से प्रदर्शित स्थायी रास्ता 5 मीटर चौड़ाई में दिलाया जावे तथा प्रार्थीगण को उनके खेत पर पूर्व की भांति आने जाने का रास्ता ए, बी, सी, अंको से प्रदर्शित का उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। प्रार्थीगण आम रास्ते की एवज में चारागाह एवं अन्य किस्म की जमीन के बदले अपने स्वामित्व की जमीन देने को तैयार है अथवा प्रार्थीगण रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। विवाद ग्रस्त रास्ता एवं आराजी वाके ग्राम एवं माल गोविन्दपुरा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थना–पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को ग्राम गोविन्दपुरा में प्रार्थीगण के स्वामित्व की प्रार्थना–पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 11 का ख0न0 167 का रकबा 0.50 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 168 का रकबा 0.40 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 169／469 का रकबा 0.12 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 170 का रकबा 0.77 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 171 का रकबा 0.60 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 173／471 का रकबा 0.10 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 332 का रकबा 0.08 हैक्ट0 बारानी उत्तम कुल किता 7 का कुल रकबा 2.57 हैक्ट0 पर आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने का स्थाई रास्ता 5 मीटर चौड़ा अप्रार्थी के ग्राम गोविन्दपुरा की आराजी खाता संख्या 129 के ख0न0 127,128,131,133,155,167／470 की मेड पर होकर दिलाया जावे। प्रार्थीगण आम रास्ते की एवज में चारागाह एवं अन्य किस्म की जमीन के बदले अपने स्वामित्व की जमीन देने को तैयार है अथवा प्रार्थीगण रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे में ए, बी, सी, अंकों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.21 12:04:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्शित किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उक्त रास्ता दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। अप्रार्थी से मौका रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी/तहसीलदार अटरू द्वारा क्रमांक/राजस्व/2023/950 दिनांक 09.05.2023 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि ग्राम व माल गोविन्दपुरा के ख0न0 167 का रकबा 0.50 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 168 का रकबा 0.40 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 169/469 का रकबा 0.12 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 170 का रकबा 0.77 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 171 का रकबा 0.60 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 173/471 का रकबा 0.10 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 332 का रकबा 0.08 हैक्ट0 बारानी उत्तम कुल किता 7 का कुल रकबा 2.57 हैक्ट0 आराजी कान्ती बाई पत्नी बृजमोहन, कालू पुत्र कान्हालाल, चन्द्रमोहन पुत्र नाथूलाल, राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति सहरिया का सामलाती खाता चला आ रहा है। उपरोक्त खसरों का मौका देखा गया। मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है। रास्ते की चौडाई 5 मीटर रखी गई।

क्र0सं0	ख0नं0	किस्म	खातेदार	रकबा	रास्ते की लम्बाई	उपयुक्त क्षेत्र0
1	133	चारागाह	चारागाह	5.74	140×5	700 वर्गमीटर
2	131	चारागाह	चारागाह	0.60	70×5	350 वर्गमीटर
3	128	चारागाह	चारागाह	0.43	100×5	500 वर्गमीटर
4	127	चारागाह	चारागाह	0.30	32×5	160 वर्गमीटर
5	155	चारागाह	चारागाह	0.60	50×5	250 वर्गमीटर
6	126/473	चारागाह	चारागाह	0.35	76×5	380 वर्गमीटर
7	171/472	चारागाह	चारागाह	0.10	20×5	100 वर्गमीटर
कुल योग						2440 वर्ग मीटर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.21 12:04:23 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के समय प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को ग्राम एवं माल गोविन्दपुरा पटवार क्षेत्र खेड़लीगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 11 का ख0न0 167 का रकबा 0.50 हेक्ट0, ख0न0 168 का रकबा 0.40 हैक्ट0, ख0न0

169/469 का रकबा 0.12 हैक्ट0, ख0न0 170 का रकबा 0.77 हैक्ट0, ख0न0 171 का रकबा 0.60 हैक्ट0, ख0न0 173/471 का रकबा 0.10 हैक्ट0, ख0न0 332 का रकबा 0.08 हैक्ट0 कुल किता 7 का कुल रकबा 2.57 हेक्ट0 आराजी पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने का स्थाई रास्ता अप्रार्थी की सरकारी भूमि ख0न0 127 का रकबा 0.30 हैक्ट0 बरानी 2 , ख0न0 128 का रकबा 0.43 हैक्ट0 बरानी 2, ख0न0 131 का रकबा 0.60 हैक्ट0 बरानी 2, ख0न0 133 का रकबा 5.74 हैक्ट0 चारागाह, ख0न0 155 का रकबा 0.60 हैक्ट0 दीगर पीवल, ख0न0 167/470 का रकबा 0.15 हैक्ट0 दीगर पीवल की मेड़ पर होकर चला आ रहा है। उक्त रास्ते से प्रार्थीगण हमेशा से अपने खेत पर आते जाते एवं कृषि यंत्र लाते ले जाते रहे हैं। परन्तु अप्रार्थी ने इस वर्ष 2022 में धारा 91 एल0आर0एक्ट0 की कार्यवाही करने की धमकी दी है। जिससे प्रार्थीगण को आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने का संकट उत्पन्न हो गया है। जिससे प्रार्थीगण समय पर अपने खेत को नहीं हंकवा सकेगें तथा प्रार्थीगण की आराजी पड़त रह जावेगी तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी तथा प्रार्थीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि की मुआवजा राशि डी0एल0सी0 की दूगनी या न्यायालय के आदेश अनुसार अप्रार्थी को जमा कराने को तैयार है।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पुनः तर्क किया कि किसी काश्तकार को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि (सिवायचक/चारागाह) में होकर नया रास्ता चाहिए या किसी विद्यमान रास्ते को चौडा करना चाहता है तो राज्य सरकार के परिपत्र – राजस्व (ग्रुप–9) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.2(63)राज.–9/2014 दिनांक 29.09.2014 के आधार पर रास्ता दिये जाने के प्रावधान है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 व उक्त परिपत्रों प्रावधानों के अधीन प्रार्थी को अपनी आराजी तक पहुंच रास्ता दिया जावे।

अभिभाषक प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। उपरोक्त बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं पेश परिपत्रों का अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.21 12:04:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 कः– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या खुला मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना जहॉ

(क). कोई अभिधारी अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख). कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है। यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात समाधान हो जाता है कि–

i- यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है, और

ii- अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचने के लिए वैकल्पिक साधन/मार्ग का अभाव सिद्व किया गया है।

6. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अधीन नया रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन उक्त प्रावधान के केवल खातेदारी भूमि से ही नये रास्ते दिये जाने के संबंध में है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को अपनी जोत तक पहुंच हेतु राजकीय भूमि ख0नं0 76 में होकर अस्थाई रास्ता गुजरता है और प्रार्थी खातेदार द्वारा इसी सिवायचक भूमि में होकर अपनी जोत तक पहुंच हेतु नया रास्ता चाह गया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा पेश राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के ग्रुप 6 के परिपत्र क्रमांक प.3(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 का अवलोकन किया गया। उक्त परिपत्र में राजकीय भूमि से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के संबंध में निम्न प्रावधान किये गये है– ***"राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध में –संबंधित खातेदारों की आपसी सहमति से उनके खेतों तक पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नया रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है। यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई राजकीय भूमि पड़ती है तो उसका भी समाधान किया जा चुका है एवं यदि खातेदार आपस में सहमत नहीं है तो वह खातेदार जिसको जोत तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना है या पुराने रास्ते को चौड़ा करना है तो उसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में दिया गया है। लेकिन उक्त प्रावधान केवल खातेदारी भूमि पर से रास्ते के संबंध में ही है लेकिन ऐसे प्रकरण जिसमें खातेदार***

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.21 12:04:23 IST
Reason: Attested

को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नही है। खातेदार राजकीय भूमि में से ही होकर अपनी जोत तक पहुंच सकता है। खातेदार द्वारा अपनी जोत तक आने जाने के लिये रास्ता चाहा जा रहा है।

उक्त समस्या के समाधान के लिये यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुँचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–निगम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारीश की गई कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत किया जावें। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूट से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौडा नही होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा''।

प्रार्थी द्वारा पेश राजस्व विभाग ग्रुप 9 का परिपत्र दिनांक 29.09.2014 का भी अवलोकन किया गया। उक्त परिपत्र में खातेदार को अपनी जोत तक पहुंच हेतु राजकीय (चारागाह) भूमि में होकर नया रास्ता चाहे जाने के संबंध प्रावधान किये गये है जिसमें खातेदार को राजकीय चारागाह भूमि से रास्ते के रूप में दी गई भूमि के बदले में स्वयं के खातेदारी की उतना ही रकबा चारागाह के रूप में सम्पर्ण किये जाने के प्रावधान है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण एवं राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 प्रार्थी के आधार पर प्रार्थी द्वारा डीएलसी. की दुगुनी राशि जमा कराने की सहमति, प्रार्थी के खेत तक कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं होने एवं रास्ते की अत्यावश्यकता होने के कारण प्रार्थी के ख0नं0 54 तक पहुंत हेतु सरकारी ख0नं0 76 की उत्त[illegible] सहारे पेश नवीन मौका रिपोर्ट व नक्शा खसरा के अनुसार 30 फीट यानी 9.14 मीटर चौडा [illegible]5 मीटर लंबाई में नया रास्ता दिया जाना न्यायोचित होगा। अतः ग्राम निमोदा की विवादित आराजी ख0नं0 76 के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.21 12:04:23 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ग्राम निमोदा तहसील अटरू के ख0नं0 54 का रकबा 0.74 है0 तक पहुंच हेतु तहसीलदार अटरू की नवीन मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम निमोदा के ख0नं0 76 किस्म बंजड में से उत्तरी मेड के सहारे 15 मीटर लम्बा व 9.14 मीटर चौडा रास्ता यानी 138 वर्ग मीटर भूमि पर रास्ता कायम कर 0.02 है0 आराजी की **DLC** की दुगनी राशि अप्रार्थी को दिये जाने/राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.21 12:04:23 IST
Reason: SelfAttested